आयोजनागत/ जिला योजना
संख्याः 1142 /XI/04/56(36)/2003

प्रेषक,

पी0 एस0 जंगपांगी
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तरांचल पौड़ी

ग्राम्य विकास अनुभागः देहरादूनः दिनांकः 10 दिसम्बर,2004

विषयः स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग को वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु आबंटित केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि का आबंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2184 दिनांक 03–11–2004 तथा शासनादेश संख्याः 796/XI/04 /56(36)/ 2003 दिनांक 27.8.2004 के अनुकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के शासनादेश संख्या 17013/19/2004–एस.जी.एस.वाई.–I(53) दिनांक 26–10–2004 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु जनपद रूद्रप्रयाग को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रूपये 6,72,000–00 (रूपये छः लाख बहत्तर हजार मात्र) श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अंतर्गत आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है.

2– उक्त धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् ही स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा । धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

3– उक्त धनराशि का आबंटन वर्तमान नियमों / आदेशों तथा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा । धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय में भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा ।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय– समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों/ गाइडलाईन्स के अनुसार योजना के अंतर्गत किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समय से भारत सरकार / राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाय । धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा ।

5. उक्त धनराशि का व्यय अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु उपयोग राज्य में इन जातियों हेतु लागू आरक्षण प्रतिशतता के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा ।

6– उक्त पैरा 2 से 5 तक में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात नियंत्रक / मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे । यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार विचलन हो तो सम्बंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि सूचना सम्पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय । कमश...2...

NIC

853

7– बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका,स्टोर पर्चेज रूल्स,डी.जी.एस.एन.डी. की दरें अथवा टैण्डर / कोटेशन विषयक नियम एवं मितव्यतता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किया जायेगा .

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2005 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा .

9– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय– व्ययक के अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2501– ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम –01– समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम– आयोजनागत– 800– अन्य व्यय–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–04–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(75 प्रतिशत के.सहा.)(जिला योजना)–20 सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता की मद के नामें रूपये 3,36,000–00 तथा–91–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–03–स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना (75 प्रतिशत के0स0)–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता की मद के नामें रूपये 3,36,000–00 की धनराशि को डाला जायेगा ।

8– उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 587/ वित्त अनुभाग–2/2003 दिनांक 08दिसम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(पी0 एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव

1142

संख्याः /XI /04/56(36)/2003 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)उत्तरांचल सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग ।
3– निदेशक,एस.जी.एस.वाई.,ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
4– आयुक्त , गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
5. अनु सचिव, ,एस.जी.एस.वाई.,ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
6– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग ।
7– मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण रूद्रप्रयाग ।
8– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तरांचल, 23– लक्ष्मी रोड देहरादून ।
9– निजी सचिव– मा. मुख्यमंत्री उत्तरांचल को मा. मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ
10– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तरांचल देहरादून ।
11– वित्त अनुभाग– दो, उत्तरांचल शासन
12– नियोजन विभाग उत्तरांचल शासन ।
13– गार्ड फाईल

आज्ञा से

(पी0 एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव ।